तारां० प्र०क 865

[ 22/12/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 865 ]

परिशिष्ट–क

विधानसभा प्रश्न कमांक 865 तारांकित द्वारा श्री कुणाल चौधरी,

सदस्य विधानसभा म0प्र0

( प्रश्नकर्ता के प्रश्न कमांक 3155 एवं प्रश्न 865 के 'क' के संदर्भ में)

| क. | संभाग का नाम | जिले का नाम | शास. से निजी की गई भूमि का वर्ष | शास. से निजी की गई भूमि का वर्ष | खसरा नंबर / रकबा | निजी करने या आवंटित करने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | उज्जैन | मंदसौर | 01 | 2014 | कस्बा मंदसौर 1894 / 1.000 हे. | राजपूत समाज ट्रस्ट मंदसौर को आवंटित। |
| 2 | | रतलाम | | – | – | – |
| 3 | | उज्जैन | | | | |
| 4 | | शाजापुर | | – | – | – |
| 5. | | देवास | 02 | 2015 | ग्राम सतवास329 / 0. 3393 हे. | मान.उच्च न्याया.के पिटीशन कमांक 21738 / 15 में पारित आदेश दिनांक 14.12. 2015 के अनुकम में श्रीरामनिवास पिता जयनारायण के नाम नामांतरण का प्रकरण प्रचलन में है। |
| | | | | 2019 | | मान.उच्च न्याया.के पिटीशन कमांक 20880 / 18में पारित आदेश दिनांक 2.8. 2019 के अनुकम में नामांतरण स्वीकृत किया गया ,उक्त भूमि के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय में एसएलपी(सी)3460 लगाई गई, जो निरस्त कर दी गई है। |
| 6 | | नीमच | 07 | 2014 से 2020 तक | औधोगिक क्षेत्र मनासा में भूखण्ड आवंटित | राजस्व रिकार्ड में नामांतरण नहीं किया गया है। |
| 7 | | आगरमालवा | – | – | – | – |
| 8 | इंदौर | झाबुआ | – | – | – | – |
| 9. | | धार | – | – | – | – |

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (शासन)

तारां. प्र. क्र 865

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | | खरगौन | — | — | — | — |
| 11 | | खण्डवा | — | — | — | — |
| 12 | | बडवानी | — | — | — | — |
| 13 | | बुरहानपुर | — | — | — | — |
| 14 | | अलीराजपुर | — | — | — | — |
| 15 | | इंदौर | 01 | 2014 से 2020 तक | 316/3/2 320/2 321/1 पार्ट 323 पार्ट 692/2 693/3 694 पार्ट ,695/1 696/1,697/1 698/2,699/2 कुल रकवा 10.401 हे. | श्री विले पार्ले केलवाड़ी मण्डल मुंबई /संस्था को आवंटित करने पर कोई विवाद नहीं रहा है। |
| | | | 02 | | 216,217,218,224,225 में से 2.231 हे. | श्रीसत्यसांई .हेल्थ केयर ट्रस्ट/संस्था को आवंटित करने पर कोई विवाद नहीं रहा है। |
| | | | 03 | | 169/2 181/2, 209 सहित कुल 30 सर्वे नंबरों में 10.402 हेक्टेयर। | सिमबायोसिस फाउण्डेशन//संस्था को आवंटित करने पर कोई विवाद नहीं रहा है। |

अनुभाग अधिकारी

तारां० प्र० क्र० 865

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 865 के संलग्न नियम की छाया प्रति



[1][*****]

(6-च) इस कोड में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (6-क) से [2][(6-ङ)] तक के उपबन्ध प्रभावशील होंगे।

(7) उपधारा (1) में या तत्समय किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

[3][(क) जहाँ किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमिस्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिंचित भूमि के पाँच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, वहाँ उसके खाते या खातों में की भूमि का केवल उतना क्षेत्रफल, जितना की सिंचित भूमि के पाँच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन होगा;]

(ख) किसी ऐसी जनजाति के, जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भी भूमि डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नही होगी;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के प्रतिकूल, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर किसी भूमिस्वामी की भूमि का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न कोई ऐसी भूमि प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का संख्यांक 5) के अधीन किसी न्यायालय अथवा किसी रिसीवर में निहित होगी:

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहाँ कि किसी बन्धक द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो।

[4][(7-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (1968 का क्रमांक 28) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का [5][कलेक्टर] की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दे।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-2-5-2019-सात-शाखा-7, दिनांक 2 जनवरी, 2020 द्वारा उपधारा (6ङङ) विलोपित; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 08.01, 2020, पृष्ठ 13 पर प्रकाशित। उक्त विलोपन के पूर्व उपधारा (6ङङ) निम्न प्रकार थी: "(6-ङङ) उपधारा (6) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमि-स्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदिम जनजाति का न हो, अन्तरित की गई कृषि-भूमि ऐसे अन्तरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं की जाएगी।"
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-2-5-2019-सात-शाखा-7, दिनांक 2 जनवरी, 2020 द्वारा कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(6-ङङ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 08 जनवरी, 2020, पृष्ठ 13 पर प्रकाशित।
3. म.प्र. अधिनियम क्र.37 सन् 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. म.प्र. अधिनियम क्र. 15 सन् 1975 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. म.प्र. अधिनियम क्र.17 सन् 1992 द्वारा (दिनांक 28-10-1992 से) शब्द "मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुभाग अधिकारी मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग